भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 97-सेक (सी आर)/45/52 नई दिल्ली, दि. 21-5-97

स्थायी आदेश सं. 22

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., रेलवे बोर्ड

विषय : बुक किए गए परेषणों के अस्थानिक मामले

यह देखा गया है कि बुक किए गए परेषण के बहुत से मामले प्लावी हैं लेकिन संबंधित क्षेत्र/मंडल उन्हें रजिस्टर नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि 1987 के आर पी एफ नियम 226 और 227 के अंतर्गत मामलों को स्थानान्तरित करने और उनके समन्वय के बारे में प्रक्रिया का अति सावधानी पूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड 23.4.97 को डी जी/आर पी एफ के साथ रे.सु.ब. के मुख्य सुरक्षा आयुक्तों के सम्मेलन में इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि बुक परेषणों में कमियों के मामलों को रजिस्टर किया जाए और तत्काल उनकी जांच की जाए, बिना देरी के घटना का स्थान निर्धारित किया जाए और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

2. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इस संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए :

(i) अस्थानिक कमियों के मामलों को गन्तव्य/उतराई स्टेशनों पर वर्तमान नियमों के अनुसार दर्ज किया जाता रहे।

(ii) ऐसे अस्थानिक मामलों की "पीछे खोज" जांच तत्काल आरंभ की जाएं और एक माह के लक्ष्य समय के बीच पूरी की जाए और घटना के स्थान की पहचान करते हुए अपराध का स्थानीकरणकिया जाए।

(iii) घटना का स्थान निर्धारित हो जाने के बाद, मामले को सम्बद्ध मंडल में स्थानान्तरित किया जाए।

(iv) जिस क्षेत्रीय रेलवे को मामला स्थानान्तरित किया जाता है, वह उसे 7 दिनों के भीतर स्वीकार करे और स्थानान्तरित करने वाली रेलवे को क्रास-रजिस्ट्रेशन विवरण भेजे जो स्वीकार करने वाली रेलवे से क्रास रजिस्ट्रेशन पत्र प्राप्त होने पर मामले को अपने रिकार्ड से हटा देगी।

(v) स्वीकार करने वाली रेलवे की यह जिम्मेदारी होगी कि रजिस्ट्रेशन के बाद पूरी जांच करे, उसमें अन्तर्ग्रस्त अपराधियों की गिरफ्तारी करे और चोरी-शुदा सामग्री की बरामदी करने के साथ-साथ यदि लापरवाही हुई हो तो कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करे।

(vi) आर पी एफ नियमों के अनुसार, चौकी/सीमा चौकी जहां त्रुटि (सील खराबी, पेनल कटाव, ढांचा कटाव, दरवाजा खराबी, खुला दरवाजा आदि) दिखाई दे, इस तथ्य को रोज़नामचे में रिकार्ड करेगी और दोषयुक्त वैगन चैकिंग रजिस्टर में भी प्रविष्ट करेगी। जिस चौकी/सीमा चौकी को ऐसे दोषों का पता चलता है वह स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने से पूर्व माल डिब्बे के आखिर में रुकने के स्थान तक ट्रैक खोज भी करेगी। वे अंतिम स्टेशन से सील जांच विवरण और गंतव्य से कमियों की रिपोर्ट प्राप्त करें।

(vii) यह देखा गया है कि चौकियों द्वारा दोषपूर्ण सील के देखे गए बहुत से मामलों में इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि गंतव्य स्टेशन से कमियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ। दोषपूर्ण सील देखने वाली चौकी की ऐसी अकर्मण्यता से अपराधियों को सहायता मिलती है। जिस चौकी को दोषयुक्त वैगन/सील का पता चलता है उसका उत्तरदायित्व होगा कि गंतव्य स्टेशन से एक माह के अन्दर कमियों के विवरण प्राप्त करे, जहां जरुरी हो, मामला रजिस्टर करें और जांच तत्काल आरंभ करें।

(viii) स्थानान्तरित मामलों के समाधान के लिए मंडल/क्षेत्रीय/रेलवे बोर्ड स्तर पर त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई मामला ऐसा नहीं रह गया जो प्लावी है या रजिस्टर नहीं किया गया है।

कृपया इस स्थायी आदेश की पावती दें।

ए.पी.दुराय
महानिदेशक/रे.सु.ब.

प्रतिलिपि : सब डी एस सी/ए एस सी.